न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान मांगू राम बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या 170/2025
निर्णय दिनांक 09/07/25

मांगू राम पुत्र माणक राम जाति मेघवाल निवासी नेठवा तहसील तारानगर जिला चूरू।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा नेठवा पटवार हल्का नेठवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 135 के खसरा सं. 816/458 तादादी 0.6828 हैक्ट. ख.नं. 821/677 तादादी 0.8599 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि कृषि भूमि खाता संख्या खाता संख्या 135 के खसरा सं. 816/458 तादादी 0.6828 हैक्ट. ख.नं. 821/677 तादादी 0.8599 हैक्ट. वाके रोही मौजा नेठवा पटवार हल्का नेठवा की जमाबंदी में भूलवश वर्तमान राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी का नाम मांगीलाल पुत्र माणकराम दर्ज है, जो गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम मांगू राम पुत्र माणक राम है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार कार्ड में प्रार्थी का नाम मांगू राम पुत्र माणक राम दर्ज है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान व भारत सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। अब वादी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद पत्र पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही नेठवा पटवार हल्का नेठवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 135 के खसरा सं. 816/458 तादादी 0.6828 हैक्ट. ख.नं. 821/677 तादादी 0.8599 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम मांगू राम पुत्र माणक राम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम मांगीलाल पुत्र माणकराम व मांगू राम पुत्र माणक राम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार कार्ड मे प्रार्थी का नाम मांगू राम पुत्र माणक राम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मांगीलाल पुत्र माणकराम अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही नेठवा पटवार हल्का नेठवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 135 के खसरा सं. 816/458 तादादी 0.6828 हैक्ट. ख.नं. 821/677 तादादी 0.8599 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम मांगीलाल पुत्र माणकराम Delete कर इसके स्थान पर मांगू राम पुत्र माणक राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/07/25 को खुले न्यायालय में लिखाया, जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)